

तारीख
हुक्म

08.05.2018

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम
जो इस हुक्म की तालीम
में जारी हुए

--: निर्णय ::--

न्याय आपके द्वार, 2018: राजस्व कोर्ट
कैम्प-सूपका में पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान् उपस्थित।
हस्तगत प्रकरण में प्रार्थनी सुन्दरदेवी पत्नी
बजरंगलाल जाति भार्गव निवासी ललासरी ने, अपनी
खातेदारी के खेत शरहद सेवा में खसरा नम्बर 479/70
रकबा 03.11 बीघा, खसरा नम्बर 480/70 रकबा 03.11
बीघा, खसरा नम्बर 481/70 रकबा 03.11 बीघा व
खसरा नम्बर 482/70 रकबा 03.11 बीघा, कुल रकबा
14.05 बीघा तथा शरहद ललासरी में खसरा नम्बर 72
रकबा 04.06 बीघा, खसरा नम्बर 372/72 रकबा 04.05
बीघा, खसरा नम्बर 373/72 रकबा 04.05 बीघा, खसरा
नम्बर 374/72 रकबा 04.06 बीघा व खसरा नम्बर
376/72 रकबा 04.06 बीघा व कुल रकबा 21.06 बीघा
का सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थर गढी बाबत्
प्रार्थना-पत्र पेश किया है।

प्रकरण के सम्बन्ध में मजमे आम में
जानकारी ली गयी। प्रकरण का किसी पक्षकार द्वारा
खण्डन नहीं किया गया है। प्रकरण में किसी पक्षकार
द्वारा आपत्ति पेश नहीं हुई है। प्रार्थनी अपनी खातेदारी
के खेतों की सीमा पर पत्थर गढी करवाना चाहती है।
प्रार्थनी के आवेदन को स्वीकार किया जाना हमारे मत
में उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थनी का आवेदन, बाद विवेचन,
स्वीकार किया जाता है।

--: आदेश ::--

आदेश 111 भू-राजस्व अधिनियम के तहत
हस्तगत प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर, तहसीलदार डीडवाना
को आदेशित किया जाता है कि, प्रार्थनी द्वारा
नियमानुसार शुल्क जमा करवाने पर, शरहद सेवा में
खसरा नम्बर 479/70 रकबा 03.11 बीघा, खसरा नम्बर
480/70 रकबा 03.11 बीघा, खसरा नम्बर 481/70
रकबा 03.11 बीघा व खसरा नम्बर 482/70 रकबा
03.11 बीघा, कुल रकबा 14.05 बीघा तथा शरहद
ललासरी में खसरा नम्बर 72 रकबा 04.06 बीघा, खसरा
नम्बर 372/72 रकबा 04.05 बीघा, खसरा नम्बर
373/72 रकबा 04.05 बीघा, खसरा नम्बर 374/72
रकबा 04.06 बीघा व खसरा नम्बर 376/72 रकबा 04.
06 बीघा व कुल रकबा 21.06 बीघा में पत्थर गढी
करवाने की कार्यवाही करे।

(उत्तमसिंह शेखावत)

सहायक कलक्टर

डीडवाना

कोर्ट कैम्प-सूपका

निर्णय, आज दिनांक 08.05.2018 को सरे
इजलास सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)

सहायक कलक्टर

डीडवाना

कोर्ट कैम्प-सूपका